

# कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ-ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / 7877 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2023 रायपुर, दिनांक 07 अगस्त 2023

NEET-UG (MBBS & BDS) - 2023 में छ.ग. राज्य कोटे से प्रवेश हेतु


## ऑनलाईन आवेदन में पुनः तिथि वृद्धि सूचना

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क. एफ 13-1/2023/आ.प्र./1-3, नवा रायपुर दिनांक 07.08.2023 द्वारा जारी पत्र अनुसार राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि, महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, विलासपुर के अभिमत पत्र क्रमांक एजी/सीजी/वीएसपी/2023 दिनांक 03.08.2023 के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक S.L.P.(C) No.19668/2022 में दिनांक 01.05.2023 को नियुक्ति के संदर्भ में दिये गये अंतरिम राहत के अनुरूप ही शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में भी आरक्षण अंतरिम तौर पर लागू किया जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त विभागों को निर्देशित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

पूर्व में संचालनालय के सूचना क्रमांक 7580/छात्र/काउंसिलिंग/2023 रायपुर, दिनांक 01 अगस्त 2023 द्वारा NEET-UG (MBBS & BDS) - 2023 में छ.ग. राज्य कोटे से प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन, आवेदन में सुधार एवं पंजीयन राशि एवं संस्था चयन करने की अंतिम तिथि में वृद्धि की गई थी। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के उक्त पत्र के परिपालन में पुनः ऑनलाईन आवेदन में निम्नानुसार वृद्धि की जाती है:-

क्र.	प्रक्रिया का विवरण	तिथि एवं समय
1	ऑनलाईन आवेदन	10 अगस्त 2023, समय (Server Time) 13:00 Hrs से 12 अगस्त 2023, समय (Server Time) 13:00 Hrs तक
1	संस्था चयन, ऑनलाईन आवेदन शुल्क एवं पंजीयन राशि जमा करने की तिथि	10 अगस्त 2023, समय (Server Time) 13:00 Hrs से 12 अगस्त 2023, समय (Server Time) 15:00 Hrs तक

- नोट:-
- छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष रूप से पिछड़ी अनुसूचित जनजाति श्रेणी (ST Special Category) के अभ्यर्थी उपरोक्त उल्लेखित तिथि में अपने श्रेणी में ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
  - ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में ऑनलाईन आवेदन नहीं किया है अथवा आवेदन पूर्ण नहीं किया है, ऑनलाईन आवेदन शुल्क एवं पंजीयन राशि जमा नहीं कर पाये हैं, वे उपरोक्त उल्लेखित अंतिम तिथि तक अपना ऑनलाईन आवेदन शुल्क एवं पंजीयन राशि जमा कर आवेदन कर सकते हैं।
  - काउंसिलिंग की प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी हेतु वेबसाइट [www.cgdme.admissions.nic.in](http://www.cgdme.admissions.nic.in) एवं [www.cgdme.in](http://www.cgdme.in) का प्रतिदिन नियमित अवलोकन करें।

  
अध्यक्ष,  
काउंसिलिंग समिति,  
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.

  
आयुक्त चिकित्सा शिक्षा,  
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय



महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क. एफ 13-1/2023/आ.प्र./1-3,  
प्रति

नवा रायपुर, दिनांक 07/08/2023

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (जिला पंचायत)  
छत्तीसगढ़।


विषय :- छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 के संबंध में।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि, महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के अभिमत पत्र क्रमांक एजी/सीजी/बीएसपी/2023 दिनांक 03.08.2023 के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक S.L.P.(C)No.19668/2022 में दिनांक 01.05.2023 को नियुक्ति के संदर्भ में दिये गये अंतरिम राहत के अनुरूप ही शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में भी आरक्षण अंतरिम तौर पर लागू किया जावे।

2/ यह निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में S.L.P.(C)No. 19668/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा।

उपरोक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

  
(एस.क.सिंह)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

कमश...2


पृ.क. एफ 13-1/2023/आ.प्र./1-3

नवा रायपुर, दिनांक 07/08/2023

प्रतिलिपि:-

- (1) महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
- (2) मान.राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- (3) अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मान.मुख्यमंत्री, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
- (4) सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर।
- (5) रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
- (6) महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
- (7) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर।
- (8) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
- (9) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर।
- (10) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
- (11) विशेष सहायक/निज सचिव, समस्त मान.मंत्रीगण/मान.संसदीय सचिवगण, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
- (12) आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, 7-सरदार पटेल मार्ग, चाणक्यपुरा, नई दिल्ली।
- (13) सचिव, राज्य योजना आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग/राज्य महिला आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/राज्य अल्पसंख्यक आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य युवा आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग/व्यवसायिक परीक्षा मण्डल छत्तीसगढ़ रायपुर।
- (14) संचालक, जनसंपर्क, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
- (15) राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट [www.gad.cg.gov.in](http://www.gad.cg.gov.in) पर तत्काल अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ अग्रेषित।

  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग



ITEM NO.55

COURT NO.8

SECTION IV-C

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A  
R E C O R D O F P R O C E E D I N G S

Petition(s) for Special Leave to Appeal (C) No(s). 18816-18817/2022

(Arising out of impugned final judgment and order dated 19-09-2022 in WPC No. 591/2012 19-09-2022 in WPC No. 4665/2019 passed by the High Court Of Chhatisgarh At Bilaspur)

YOGESH KUMAR THAKUR

Petitioner(s)

VERSUS

GURU GHASIDAS SAHITYA AVAM SANSKRITI ACADEMY &amp; ORS. Respondent(s)

(IA No. 154892/2022 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT AND IA No. 173405/2022 - INTERVENTION APPLICATION)

WITH

SLP(C) No. 19668/2022 (IV-C)

(IA No. 165157/2022 - EXEMPTION FROM FILING O.T.)

Date : 01-05-2023 These matters were called on for hearing today.

CORAM :

HON'BLE MR. JUSTICE B.R. GAVAI  
HON'BLE MR. JUSTICE VIKRAM NATH  
HON'BLE MR. JUSTICE SANJAY KAROL

For Parties(s)

Dr. Abhishek Manu Singhvi, Sr. Adv.  
Mr. Atul Y Chitale, Sr. Adv.  
Mr. S. C. Verma, Sr. Adv.  
Mr. Sumeer Sodhi, AOR  
Mr. Devashish Tiwari, Adv.

Dr. K.S. Chauhan, Sr. Adv.  
Mr. Ravi Prakash, Adv.  
Mr. Sandeep Malik, Adv.  
Mr. R.S.M. Kalky, Adv.  
Mr. Ajit Kumar Ekka, Adv.  
Mr. Abhishek Chauhan, Adv.  
Mr. Sumit Kishore, Adv.  
Mr. Shailendra Kumar Nirmal, Adv.  
Drl. D. Elumalai, Adv.

Mr. C. George Thomas, AOR

Mr. Kastubh Shukla, AOR  
Mr. Rohit Sharma, Adv.  
Mr. Lakshmeesh S. Kamath, Adv.  
Ms. Nancy Shamim, Adv.  
Ms. Samriti Ahuja, Adv.

Mr. Gopal Sankranarayanan, Sr. Adv.  
Ms. Pooja Dhar, AOR  
Mr. Shrutanjaya Bhardwaj, Adv.  
Ms. Aditi Gupta, Adv.

Mr. Praveen Chaturvedi, AOR  
Ms. Jyoti Chaturvedi, Adv.

Mr. Sumeer Sodhi, AOR  
Mr. Devashish Tiwari, Adv.

Mr. Gopal Sankranarayanan, Sr. Adv.  
Ms. Pooja Dhar, AOR  
Mr. Shrutanjaya Bhardwaj, Adv.  
Ms. Aditi Gupta, Adv.

UPON hearing the counsel the Court made the following  
O R D E R

SLP(C) No. 19668/2022

1. Dr. Abhishek Manu Singhvi, learned Senior counsel appearing for the State submits that before the judgment of the High Court was delivered, various advertisements have been issued and the selection processes were also in the process. It is submitted that if the petitioner is not permitted to go ahead with the selection process and also make the promotion, the State would face a acute shortage of manpower.
2. Ms. Pooja Dhar, learned counsel appearing for the writ-petitioners has vehemently opposed the grant of interim order.
3. We find that a situation cannot be permitted where the State does not have requisite manpower to run the administration.

4. We, therefore, permit the State to go ahead with the selection process and make appointments and promotions.

5. However, it is made clear that the same shall be subject to the result of the petition.

6. All appointment and promotion orders shall specifically mention that such appointments and promotions are subject to the final outcome of the present proceedings.

7. List this matter alongwith other connected matters after ensuing summer vacation.

(DEEPAK SINGH)  
COURT MASTER (SH)

(ANJU KAPOOR)  
COURT MASTER (NSH)